माननीय उद्योग मंत्री का फोटो

बिहार सरकार
उद्योग विभाग,

माननीय मुख्यमंत्री का फोटो

आगे आयें। — **बुनकरों के लिए सुनहरा अवसर** — लाभ उठायें।।

मुख्यमंत्री समेकित हस्तकरघा विकास योजना

जो बुनकर अपने लूम पर या किसी मास्टर बुनकर के यहाँ मजदूरी पर बुनाई कार्य करते हों और अपने घर में लूम स्थापित करने की जगह हों, को नये करघे, कॉपर्स फंड (मार्जिन मनी), कर्मशाला उपलब्ध कराकर उनकी आय तथा जीवन स्तर में वृद्धि करने की योजना।

चयनित बुनकरों को राशि उनके बचत खाता में स्थानान्तरित किया जायेगा।

बुनकरों को लाभः–

–नये करघे क्रय करने हेतु मो0–15,000/–रू0 प्रति बुनकर (दो किस्तों में प्रथम किस्त मो0–12000/–रू0 एवं द्वितीय किस्त मो0–3000/–रू0)

–सूत क्रय करने हेतु कॉपर्स फंड (मार्जिन मनी) मो0–5,000/– रू0 प्रति बुनकर (बुनकर क्रेडिट खाता में)

–कर्मशाला निर्माण मो0–40,000/–रू0 प्रति बुनकर (दो किस्तों में प्रथम किस्त मो0–25000/–रू0 एवं द्वितीय किस्त मो0–15000/–रू0)

–प्रत्येक कलस्टर में समान्य सुलभ सेवा केन्द्र, का निर्माण प्रस्तावित है।

योजना के पात्र बुनकरः–

–बुनकर जो न्युनतम एक वर्ष से बुनाई कार्य कर रहे हों।

–भारत सरकार द्वारा जिन्हें बुनकर पहचान–पत्र निर्गत किया गया हो, अथवा वास्तविक रूप से बुनाई कार्य करने का महाप्रबंधक, जि0उ0के0/उ0वि0पदा0(वस्त्र) द्वारा बुनकर पहचान पत्र निर्गत किया गया है।

–विगत 8 वर्षों में उन्हें राज्य सरकार/केन्द्र सरकार द्वारा अनुदान पर लूम, कॉपर्स फंड की राशि तथा कर्मशाला–सह–आवास का लाभ नहीं लिया हो।

–18–55 वर्ष की आयु के बुनकर योजना के लाभ के पात्र होंगे। 18–50 वर्ष की आयु के बुनकरों को चयन में प्राथमिकता दी जायेगी।

–ये बुनकर संबंधित कलस्टर/जिला के निवासी हों।

–बुनकर परिवार के एक सदस्य को योजना का लाभ दिया जायेगा। पति, पत्नी एवं उस पर आश्रित संतान को एक परिवार माना जायेगा।

–बुनकर के पास अपना कार्यरत लूम हो।

अथवा

बुनकर किसी अन्य मास्टर बुनकर के यहां मजदूरी पर बुनाई कार्य करते हों और अपने घर में लूम स्थापित करने की जगह हो।

–कर्मशाला योजना के लिए अपने आवास से सटे 250 वर्गफीट का अपना भूमि उपलब्ध हो।

–बुनकर का किसी वाणिज्यिक बैंक में बचत खाता हो।

कलस्टर का नाम एवं जिला जहाँ योजना कार्यान्वयन करना है।

100 से 200 बुनकरों वाले कलस्टर जहाँ योजना कार्यान्वयन किया जाना हैं।

मिरनचक, शेखपुरा, मिरजाफरी, मिल्की, पक्कापुल, लोदीपुर, शाहजंगी, दिलगौड़ी, दरियापुर, खैरा, इब्राहीमपुर, राधानगर, मोहवीं(भागलपुर), वारूण (औरंगाबाद), पंडौल(मधुबनी)।

आवेदन कहाँ करें:–

भागलपुर – उप विकास पदा0(वस्त्र)
औरंगाबाद एवं मधुबनी – महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र

आवेदन प्रपत्र निशुल्क संबंधित जिले के उप विकास पदा0(वस्त्र)/महाप्रबंधक जिला उद्योग केन्द्र, कार्यालय से प्राप्त कर सकते है।

बुनकर इससे संबंधित सूचना विभागीय बेवसाइट http:***industries***.*bih.nic.in* पर देख सकते हैं। बेवसाइट पर भी आवेदन प्रपत्र उपलब्ध है।

प्रधान सचिव
उद्योग विभाग